सत्यमेव जयते

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA,
सीप्ज़- सेज़ प्राधिकरण/ SEEPZ SEZ AUTHORITY,
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी पूर्व मुंबई – 400096. ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400096
Tel: 022-28294703/28294770,
E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

No. E-FNC/225/2022-EF/03160 05.03.2024

**परिपत्र क्रमांक 15 दिनांक 05 /03/2024**
**Circular No. 15 Dated 05 /03/2024**

**विषयः उपपट्टा समझौते के निष्पादन में देरी के लिए जुर्माने की वसूली को वापस रु. 100/- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष से 1/- रूपये प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष - तत्संबंधी।**

**Sub: Roll back of penalty to Re.1/- per sq.mtr. per annum from Rs. 100/- per sq.mtr. per annum for delay in execution of sublease agreement -reg.**

उपपट्टा समझौते के निष्पादन में देरी के लिए जुर्माने की वसूली को वापस लेकर रुपये 100/- प्रति वर्ग/ मीटर/ प्रति वर्ष से रु.1/- प्रति वर्ग मीटर/ प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव 11.10.2023 को आयोजित 63वीं प्राधिकरण बैठक के समक्ष रखा गया था।

प्राधिकरण की राय थी:-

(i) पूर्वव्यापी प्रभाव से जुर्माने को रु. 1/- प्रति वर्ग मीटर से रुपये 100/- प्रति वर्ग मीटर. वापस लेना ।

(ii) जिन यूनिट धारकों ने जुर्माना चुकाया है, उनके संबंध में उक्त राशि को किराए के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए।

प्राधिकरण ने परिपत्र दिनांक 06.08.2010 को

The proposal to Roll back the levy of penalty to Rs. 1/- per sq. mtr. p.a. from Rs. 100/- per sq. mtr. p.a. for delay in execution of sublease agreement was placed before the 63rd Authority Meeting held on 11.10.2023.

The Authority was of opinion :-

(i) to roll back the penalty from Rs. 100/- per sq. mt. to Rs. 1/- per sq. mtr. With retrospective effect.

(ii) that in respect of the unit holders who have paid the penalty , the said amount should be adjusted against rent.

The Authority also decided

प्रतिस्थापित करने का भी निर्णय लिया। जिसमे जुर्माना रुपये 1 से रु 100/- प्रति वर्ग मिटर प्रति वर्ष बढ़ाया गया था |

to supersede the Circular dt. 06.08.2010 increasing the penalty from Rs. 1 to Rs. 100/- per sq. mtr.p.a.

आगे यह निर्णय लिया गया कि यह छूट सार्वजनिक हित में बढ़ाई जा रही है और 31.03.2024 को या उससे पहले निष्पादित होने वाले लीज डीड के लिए मान्य है।

It was further decided that this exemption is being extended in the public interest and valid for the lease deeds to be executed on or before 31.03.2024

सभी यूनिटधारकों / सार्वजनिक उपयोगिताओ से अनुरोध है की वे उपरोक्त छूट का लाभ उठाने के लिए 31.03.2024 को या उससे पहले उप-पत्ता समजौत निष्पादित करे |

All the unit holders/public utilities are requested to execute the sub-lease agreement on or before 31.03.2024 for availing the aforesaid exemption.

05.03.24

(सी.पी.एस. चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रति:

1. सभी यूनिट धारक, सीप्ज़-सेज़
2. SEEMA, सीप्ज़ सेज़
3. SG&JMA सीप्ज़ सेज़
4. केयरटेकर, सीप्ज़-सेज़
5. सीए प्राधिकरण, सीप्ज़- सेज़